FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

जयपालसिंह बनाम सरकार

धारा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 305 सन् 2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी जयपालसिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी चैनपुराछोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 99 ख0नं0 552/367, 745/272 कुल तादाद 5.5906 है0 रोही चैनपुराछोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम जयलाल भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम जयपालसिंह दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 99 ख0नं0 552/367, 745/272 कुल तादाद 5.5906 है0 रोही चैनपुराछोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम जयलाल के स्थान पर सही नाम जयपालसिंह शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	